अनिवार्य रूप से अनुपालन हेतु दिशानिर्देश / Mandatory Guidelines for Compliance

1. कोटेशन मूल हस्ताक्षरित होना चाहिए।
   Quotation should be signed in original.
2. **अहस्ताक्षरित प्रस्ताव या स्कैन किए हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए जाएंगे :**
   - स्कैन हस्ताक्षर वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
   - भारतीय एजेंटों द्वारा अग्रेषित स्कैन हस्ताक्षर वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
   - भारतीय एजेंटों द्वारा मुहर सहित औरक्षर नं हस्ताक्षर सहित अग्रेषित स्कैया भारतीय एजेंटों के हस्ता/वों को वाले प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
   - अंतिम पेज या दी गई कीमत वाले पेज वों कोक्षर न किए गए प्रस्ताही से हस्ताक्षर स्या (पेजों) अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

   Unsigned offers or offers with scanned signature will be rejected :
   - Offers with scanned signature will be rejected.
   - Offers with scanned signature forwarded by Indian Agents will be rejected.
   - Offers with scanned signature forwarded by Indian Agents with stamp and/or signature of Indian Agents will be rejected.
   - Offers not ink signed either at the last page or page(s) of prices mentioned will be rejected.
3. टेलेक्स, केबल, टेलीग्राम, फैक्स, झेरोक्स कॉपी और स्केन कॉपी द्वारा टेन्डर जमा करने पर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
   Tenders submitted by TELEX / CABLE / TELEGRAM / FAX / XEROX COPY and SCANNED Copy will not be considered at-all.
4. हस्तलिखित कोटेशन प्राप्त होने पर रद्द किया जा सकता है।
   Hand written quotations are liable to be rejected.
5. मदों की कीमतें, संपूर्ण संवैधानिक कर जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, शिक्षा उपकर, टैक्सेस, पैंकिंग एवं फारवर्डिंग, किराया, संस्थापन/प्रभार आदि कोटेशन में अलग से दर्शाएं। बिना उक्त विवरण के प्राप्त कोटेशन को अस्वीकार कर दिये जायेगा।
   The quotation should be submitted indicating cost of items and full statutory levies like Custom duty, Excise duty, Cess, Taxes, P&F, Freight, Installation, and commissioning Charges etc. separately. The quotation without these details is likely to be rejected.
6. विदेशी मुद्रा में मूल्य कोट करने वाले सप्लायर अपने मूल्य निरपवाद रूप से एक्स वर्क्स, एफ ओ बी / एफ सी ए आधारित ही कोट करेंगे। उपर्युक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तो पर आधारित प्राप्त हुए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
   The supplier quoting price in foreign currency shall invariably quote their price Ex-works, FOB/FCA basis. The quote received other than the above terms shall be rejected.
7. कच्चेमाल/हिस्से–पुर्जो/अन्य मध्यवर्ती उत्पादों, जिनकी मदद सेअंतिम उत्पाद तैयार होता है, के लिए उत्पाद शुल्क छूट–प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
   Excise Duty Exemption Certificate will not be issued for raw materials/components or any other intermediary materials going into the manufacture of the End Product.
8. कच्चेमाल/हिस्से–पुर्जो/अन्य मध्यवर्ती उत्पादों, जिनकी मदद सेअंतिम उत्पाद तैयार होता है, के लिए सीमा शुल्क छूट–प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
   Customs Duty Exemption Certificate will not be issued for raw materials/components or any other intermediary materials going into the manufacture of the End Product.
9. आपके कोटेशन में वेट/टिन/पैन नम्बर अवश्य लिखें, इसके बगैर आपका कोटेशन अस्वीकार किया जा सकता है।
   VAT/TIN No. and PAN Number should be furnished in your quotation, without which your offer liable to be ignored.
10. दो भाग निविदा में भाग लेने वाले विक्रेता कोई भी संशोधित कीमत बोली प्रस्तुत नहीं करेंगे जब तक कि क्रेता (क्रभनि) द्वारा विशेष रूप से इसकी मांग न की गई हो। स्वप्रेरणा से प्रस्तुत संशोधित कीमत बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
    In case of Two Part Tender participating vendors shall not submit any revised price bid unless specifically called for by the purchaser (DPS). Suo-Moto submission of revised price bid shall not be entertained.
11. यदि कोई फर्म किसी मद अथवा शुल्क के समक्ष शून्य कोट करती है तो उसकी बोली को निष्क्रिय प्रस्ताव समझा जायेगा और उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
    If a firm quotes Nil Charges / Consideration, the bid shall be treated as unresponsive offer and will not be considered.
12. **निविदा दस्तावेज लागत और पेशगी धन जमा :**
    विशेष रूप से जहां भी उल्लेख किया गया हो निविदा दस्तावेज लागत और पेशगी धन जमा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ऐसा न करने पर प्रस्ताव तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जब तक कि बोलीकर्ता को इसका भुगतान करने से छूट प्राप्त न हो। एनएसआईसी पंजीकृत फर्मों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निविदा दस्तावेज लागत और पेशगी धन जमा का भुगतान करने से छूट प्राप्त है। विदेश में विनिर्मित उपकरण/सामग्री के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा विदेशी मुद्रा में कहीं से भी प्रस्तुत कोटेशन को निविदा शुल्क और पेशगी धन जमा से छूट प्राप्त होगी। भारतीय एजेंट द्वारा अपने निर्माता की ओर से विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत कोटेशन अथवा भारतीय एजेंट द्वारा अग्रेषित विदेशी निर्माता के कोटेशन के साथ निविदा दस्तावेज लागत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए, ऐसा न करने पर उनका प्रस्ताव तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

    Tender Document Cost and Earnest Money Deposit :
    Wherever specified, Tender Document Cost and Earnest Money Deposit are required to be submitted along with offer failing which offer will be rejected out-rightly, unless the bidder is exempted from payment of the same. Firms registered with NSIC and Registered Micro and Small Enterprises are exempted from payment of tender document cost and earnest money deposit. Quotation submitted by the foreign supplier from anywhere in foreign currency for equipment / material manufactured abroad shall be exempted from tenderfee and Earnest money Deposit. Quotation submitted by Indian Agent in foreign currency on behalf of their principal or the foreign principal's quotation forwarded by the indian Agent shall mandatorily submit tender document cost failing which their offer shall be outrightly rejected.

13. **जमानती जमा :**
ऐसे प्रस्ताव अस्वीकार किए जा सकते हैं जिनमें बोलीकर्ता जमानती जमा प्रस्तुत करने से इन्कार कर देते है, जब तक कि उन्हें क्रमनि निबंधन एवं शर्तों के अनुसार छूट प्राप्त न हो। डीपीएस/डीजीएसएंडडी/एनएसआईसी में पंजीकरण या सूक्ष्म या लघु उद्यमों के रूप में पंजीकरण के आधार पर जमानती जमा प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त बोलीकर्ता कोटेशन के साथ वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करेंगे।

Security Deposit :
Offers wherein bidders declined to submit Security Deposit are liable to be rejected unless they are exempted as per DPS terms and conditions. Bidders exempted from submission of Security Deposit based on registration with DPS/DGS&D/NSIC or registered Micro or Small Enterprises shall attach a copy of valid registration certificate along with quotation.

14. **चुंगी कर छूट प्रमाणपत्र :**
जब भी सुपुर्दगी का स्थान मुंबई होगा या कोई अन्य स्थान होगा जहां पर चुंगी कर लागू है, विभाग, मूल प्रस्ताव में विशिष्ट उल्लेख होने पर आवश्यक चुंगी कर छूट प्रमाणपत्र जारी करेगा और यह विशिष्ट अनुरोध पर ही जारी किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता को, चुंगी कर के बिना कीमत कोट करनी चाहिए और इसका प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। तथापि, यदि आपूर्तिकर्ता से बाद में चुंगी कर के संबंध में कोई भी दावा प्राप्त होता है तो किसी भी परिस्थिति में, चुंगी कर की प्रतिपूर्ति या भुगतान नहीं किया जाएगा। यह भी नोट किया जाए कि यदि, चुंगी कर छूट प्रमाणपत्र की आवश्यकता का उल्लेख उनके मूल प्रस्ताव में नहीं किया गया है तो किसी भी परिस्थिति में बाद में इसे जारी नहीं किया जाएगा।

Octroi Duty Exemption Certificate :
Wherever place of delivery is Mumbai or any other place where Octroi is applicable, department will issue necessary Octroi Duty Exemption Certificate against specific indication in the original offer itself and the same will be issued only on specific request. Suppliers should quote price exclusive of Octroi Duty and the same must be clearly mentioned in the offer. However, under no circumstance Octroi duty will be reimbursed or paid in case of any claim from suppliers at later stage. It may also be noted that if requirement of Octroi Duty Exemption Certificate is not indicated in their original offer, the same shall not be issued at a later stage under any circumstances."

15. एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार निविदा में भाग लेने वाले एमएसएमई पंजीकृत आपूर्तिकर्ता जो कि L1+15% के बैण्ड में कोट करता है, को आवश्यकता के एक हिस्से की आपूर्ति L1 के बराबर मूल्य पर करने की अनुमति होगी। कृपया एम एस एम ई द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति कोटेशन के साथ प्रस्तुत करें।
As per Public Procurement policy of Govt. of India for Micro and small enterprises under MSME Act 2006, the MSME registered supplier participating in a tender, quoting price within the band of L1+15% shall be allowed to supply a portion of the requirement by bringing down their price to the L1 price. Please submit a copy of valid registration certificate issued by MSME alongwith quotation.

16. **स्वदेश में निर्मित इलेक्ट्रानिक उत्पादों को प्राथमिकता :**
दिनांक 10/2/2012 की अधिसूचना सं. 8(78)/2010-आइपीएचडब्ल्यू तथा दिनांक5/10/2012 की अधिसूचना सं. 18(7)/2010–आइपी के अनुसरण में, सूचीबद्ध उत्पादों के लिए स्वदेशी निर्माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते कि वे उसमें उल्लिखित पात्रता मापदण्ड पर खरें उतरें तथा निम्नतम स्वीकार्य बोली की कीमत और उनके द्वारा लगाई गई कीमत समान हो। इस उद्देश्य के लिए पात्र बोलीकर्ताओं को उनके कोटेशन के साथ 'देशी मूल्य वर्धन' घोषित करते हुए एक स्व–प्रमाणपत्र देना होगा।

Preference to domestically manufactured electronic goods :
In line with notification No. 8 (78) / 2010-IPHW dated 10/02/2012 and No. 18(7)/2010-IP dated 05/10/2012 preference will be given to domestic manufacturers for listed products subject to fulfilling eligibility criteria mentioned therein and matching the price with that of acceptable lowest bid. For this purpose, a self-certificate declaring domestic value addition should be furnished by the eligible bidders along with their quotation"

17. यदि वारंटी अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए उपकरणों कोआपके कारखानेमें मरम्मत/अनुरक्षण के लिए भेजा जाता है, तो उपकरण की लागत की राशि के बराबर की बैंक गारंटी आरआरकेट को प्रस्तुत करनी होगी। इसे मरम्मत किए गए उपकरण की आरआरकेट में प्राप्ति के पश्चात् लौटा दिया जाएगा।
In case, the supplied equipment is required to be taken for repair/maintenance at your works during the Warranty Period, a bank guarantee of equivalent amount to cost of the equipment shall be furnished to RRCAT. The same shall be returned after receipt of the repaired equipment at RRCAT.

18. 'की गई आपूर्ति के संबंध में आपूर्ति के बाद निरीक्षण की अनुमति नहीं है। जिस प्रस्ताव में आपूर्ति-पश्च निरीक्षण की शर्त होगी वह प्रस्ताव तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। अत: बोलीकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे कोट करते समय किसी भी बाहरी एजेंसी द्वारा आपूर्ति-पश्च निरीक्षण की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।'

18. Post supply inspection in respect of supplies made is not permitted. Any offer containing the condition of post supply inspection will be out-rightly rejected. It is therefore, mandatory for the bidders, while quoting, to indicate in clear terms the requirement of post supply inspection by any outside agency.

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश/Important instructions for foreign suppliers

1. दरें एक्स–वर्क्स/एफओबी/एफसीए मूल्य के आधार पर कोट की जानी चाहिए।
   Rates should be quoted based on Ex-Works/FOB/FCA value.
2. निविदा खुलने के बाद मुद्रा परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
   Change of currency shall not be admissible after opening of tender.
3. इन्स्टॉलेशन, प्रेषण–पूर्व निरीक्षण, प्रशिक्षण इत्यादि संबंधी प्रभारों का उल्लेख अलग से किया जाना चाहिए।
   Charges for installation, pre-despatch inspection, training, etc. should be indicated separately.
4. इन्स्टॉलेशन और कमीशनन प्रभारों पर लागू आवश्यक स्थानीय करों की उगाही की जाएगी।
   Necessary local taxes will be levied as applicable on installation and commissioning charges.
5. रूपयों और अन्य मुद्राओं में प्राप्त प्रस्तावों के मामले में मूल्यांकन, सर्वसमावेशी लैंडेड लागत के आधार पर किया जाएगा।
   In case of offers received in rupee as well as other currencies evaluation shall be based on all inclusive landed cost.

ऊपर्युक्त निबंधन एवं शर्तों तथा मानक निबंधन एवं शर्तों में असंगति पाई जाने की स्थिति में ऊपर्युक्त निबंधन एवं शर्तें लागू होंगी।

Terms and conditions stipulated above will supersede in case there is any contradiction to the standard terms and conditions.

निविदाकारों तथा निविदा शर्तों के वर्तमान अनुदेशों में निविदाकारों के लिए अनुदेशों का समावेश

INSTRUCTIONS TO TENDERERS TO BE INCORPORATED IN THE EXISTING INSTRUCTIONS TO TENDERERS AND TENDERING CONDITIONS.

1. भुगतान की शर्तें :-

फार्म सं. क्रभनि पी-22 एवंक्रभनि पी-11 में दी गई क्रेता की मानक भुगतान शर्तें (अर्थात सभी संविदाओं की सामान्य शर्तें तथा संयंत्र एवंमशीनरी की आपूर्तियों को नियंत्रित करने वाली संविदाओं की विशिष्ट शर्तें) क्रेता द्वारा भंडार की प्राप्ति तथा स्वीकृति के पश्चात संपूर्ण भुगतान से संबंधित हैं।

यदि कोई निविदाकार सामग्री/माल की सुपुर्दगी के पहले ही अग्रिम अथवा प्रगामी भुगतान मांगता है तो केवल अधिक मूल्य के मदों के मामलों में ही ऐसे अनुरोध पर विचार किया जाएगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को मांगे गए अग्रिम/प्रगामी भुगतान के बराबर की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो संविदा के निष्पादन तक वैध होनी चाहिए। बैंक गारंटी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से क्रेता के प्रोफार्मा के अनुसार निष्पादित की जाएगी।

इसके अलावा जो निविदाकर्ता अग्रिम भुगतान चाहते हैं उनका मूल्यांकन, उनके द्वारा प्रस्तावित सुपुर्दगी अवधी तक 12% ब्याज जोड़कर, किया जाएगा।

यदि कोई निविदाकार आपूर्ति की जाने वाली भंडार सामग्री के लिए यथा-अनुपात भुगतान का निविदा प्रस्ताव करता है तो उनके प्रस्ताव में आपूर्ति की किश्तों की अधिकतम संख्या का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तथापि इस प्रकार किश्तों में सुपुर्दगी और यथानुपात भुगतान पर केवल उन्हीं मामलों में विचार किया जाएगा जिनका मूल्य अधिक हो और सामग्री की मात्रा काफी अधिक हो और अधिकतम किश्तों की संख्या सामान्यतः (4) तक सीमित रहेगी।

1. Payment Terms :

The purchaser's standard payment terms as specified in Form No. DPS P-22 & DPS P-11, (i.e. the General Conditions of all Contracts and Special conditions of Contracts governing supplies of Plant and Machinery), are full payment after receipt and acceptance of the stores by the purchaser.

In case any of the tenderers seek advance or progressive payment prior to delivery of the material, such requests can be considered only in exceptional cases of large value items, in which case, the tenderer will be required to furnish a Bank Guarantee for an equivalent amount of the advance/progressive payment sought for, valid till the execution of the contract. The Bank Guarantee shall be got executed as per the purchaser's format from any of the nationalized/scheduled Bank.

Besides, The offers of the tenderers seeking advance/progressive payment will be evaluated by loading 12% interest charges on the amount of advance desired, upto the delivery period quoted.

In case any of the tenderers quote pro-rata payment for the stores to be supplied, they should clearly mention in their offer the maximum number of installments of supply However, such installment delivery and pro-rata payment will be considered only in respect of contracts involving large value and sizeable quantity of items, and the maximum number of installments shall be normally restricted to four (4).

2. ठेके की सुपुर्दगी अवधि तक आपूर्ति में विलंब होने पर ब्याज :-

जहाँ भी ठेकेदार ने अग्रिम भुगतान मांगा हो और बराबर की धनराशि की बैंक गारंटी देने पर ठेके में यह स्वीकार किया गया हो वहाँ यदि ठेकेदार की ओर से किसी ऐसे कारण से ठेके की सुपुर्दगी अवधि के अनुसार आपूर्ति करने में विलंब हो जाता है तो ठेके की सुपुर्दगी अवधि के बाद की अवधि के लिए समायोजित की जाने वाली अग्रिम भुगतान की बकाया धनराशि में 12% ब्याज जोड़कर उगाही की जाएगी .

2. Interest for delay in supply beyond the contractual delivery date :

Wherever advance payments are sought for by the contractor and admitted in the contract, against Bank Guarantee for equivalent amount, in the event of any delay in supply beyond the contractual delivery date for reasons attributable to the contractor, interest charges @ 12% shall be levied for the period beyond the contractual delivery date, on the amount of balance advance payment to be adjusted.

3. संस्थापन तथा प्रचलन :-

(क) जब भी निविदाकर्ता द्वारा उपकरण के संस्थापन तथा प्रचलन अथवा इसके लिए पर्यवेक्षण हेतु निविदा के प्रति क्रेता का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो निविदाकर्ता को भंडार की आपूर्ति का मूल्य तथा प्रभार एवंसंचालन/प्रचालन अथवा इसके पर्यवेक्षण की शर्तों को अलग से और स्पष्ट रूप से उद्धत करना चाहिए. संस्थापन तथा प्रचालन के प्रभारों को भंडार के मूल्य में शामिल नहीं करना चाहिए.

ख) वे संविदाएंजिनमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संस्थापन तथा प्रचालन सम्मिलित हैं, उनके लिए निविदाकर्ता द्वारा अभिज्ञेय प्रभारों को उद्धत किए जाते हैं, उन्हें भारत के आयकर-अधिनियम के तहत आयकर देयता लागू होगी जो वर्तमान में संस्थापन तथा प्रचालन प्रभार के 20% है .

3. Installation and Commissioning :

a) Wherever, the purchaser's invitation to tender calls for installation and commissioning or supervision of installation and commissioning of the instrument/equipment by the tenderer, the tenderer must clearly and separately quote the prices for the supply of the stores and the charges and the terms for installation and commissioning or supervision of installation and commissioning, as the case may be. The charges towards installatiion and commissioning should not be included in the price of the stores.

b) In respect of contracts involving installation and commissioning by the overseas supplier where identifiable charges for the same has been quoted by the tenderer, he shall bear the Income-tax liability as per the rates prevailing at the time of undertaking the job in accordance with the Income-tax Act in force in India, which at present is 20% on the installation and commissioning charges.

4. निष्पादन बॉन्ड बैंक गारंटी :–

संयंत्र, मशीनरी, उपकरण इत्यादि से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति के मामले में, निविदाकर्ता को वारंटी अवधि के दौरान संयंत्र, मशीनरी, उपकरण के संतोषजनक निष्पादन के प्रति क्रेता के प्रोफार्मा के अनुसार वारंटी अवधि की वैधता तक उचित मूल्य के न्यायिकेतर स्टैंप पेपर पर राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से संविदा के मूल्य के 10% की निष्पादन बांड बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी चाहिए, संविदाकर्ता द्वारा निष्पादन बांड बैंक गारंटी को प्रस्तुत न करने पर संविदा के संपूर्ण मूल्य के 10% के बराबर की राशि भंडार की वारंटी अवधि की वैधता तक सुरक्षित रखी जाएगी. जिन निविदाकर्ताओं के प्रस्ताव ऐसी निष्पादन बांड बैंक गारंटी देने या 10% आदेश मूल्य को रखने से सहमत नहीं है उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा.

4. Performance Bond Bank Guarantee :

In the event of acceptance of the offer in respect of plant, machinery, equipment, instrument, etc., the tenderer will be required to submit a Performance Bond Bank Guarantee for 10% of the value of the contract from a nationalized/scheduled bank on a non-judicial Stamp Paper of appropriate value, valid till the warranty period as per the purchaser's format, towards satisfactory performance of the plant, machinery, equipment, instrument etc. during the warranty period. In case of non-submission of the performance bond Bank Guarantee by the contractor; an amount equivalent to 10% of the total value of the contract will be retained till the expiry of the warranty period of the stores. The offers of the tenderers, who are not agreeable to furnish a Performance Bond Bank Guarantee or retaining of the 10% of the order value till the warranty period, are likely to be rejected.

5. उत्पाद शुल्क :

दिनांक 01.03.1997 की अधिसूचना संख्या 10/97–केंद्रीय उत्पाद के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन अनुसंधान संस्थानों के लिए खरीद हेतु उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट मिलती है। क्रेता, इसके लिए आवश्यक उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण–पत्र, आदेश जारी करने के बाद किन्तु सामग्री के प्रेषण के पहले उपलब्ध कराएगा।

चूँकि यह निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन औद्योगिक इकाइयों तथा अनुसंधान संस्थानों के लिए खरीद का काम करता है अत: निविदाकर्ता को अपने प्रस्तावित विक्रय मूल्य में उत्पाद शुल्क नहीं जोड़ना चाहिए अन्यथा यह उनके लिए अलाभकारी हो सकता है। तथापि लागू होने वाले उत्पाद शुल्क की प्रतिशत मात्रा अलग से उद्धृत करें।

उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण–पत्र केवल उसी ठेकेदार को जारी किया जाएगा जिसे अंतिम उत्पाद के लिए क्रय आदेश दिया गया है और किसी तीसरी पार्टी को यह प्रमाण–पत्र नहीं दिया जाएगा। तथापि यदि प्रस्ताव देने वाला मूल उपकरण के उत्पादक का एकमात्र विक्रेता हो, जिसके लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो मूल उपकरण उत्पादकर्ता को छूट प्रमाण–पत्र जारी करने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते ऐसा अनुरोध मूल प्रस्ताव में किया गया हो।

यदि निविदाकर्ता सीईएनवीएटी ऋण सुविधा का लाभ उठा रहा है तो इस आशय का स्पष्ट उल्लेख निविदा में किया जाना चाहिए। अनुसंधान एवं विकास इकाइयों के लिए मंगाई जा रही सामग्री की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 01.03.1997 की अधिसूचना संख्या 10/97– केंद्रीय उत्पाद में उल्लिखित मदों के लिए यदि सीईएनवीएटी रियायत के लिए कोई दावा किया जाना हो तो इसका उल्लेख भी निविदा में ही अलग से किया जाना चाहिए।

परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन औद्योगिक एककों की आवश्यकताओं के बारे में जहाँ भी उत्पाद शुल्क देय है वहाँ उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति, बीजक/बीजक एवंचालान की क्रेता हेतु मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही की जाएगी और उस प्रति पर सरकार को अदा किए गए उत्पाद शुल्क का विवरण लिखा होना चाहिए और कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए।

उत्पाद शुल्क छूट प्रमाण–पत्र जारी करने का लिहाज किए बिना, प्रस्तावों की तुलना के लिए क्रेता, सामान्य रूप से देय उत्पाद शुल्क की गणना करेगा, जब तक कि निविदाकर्ता को किसी अन्य अधिसूचना के द्वारा उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट नहीं मिली है और यदि ऐसा है तो इस आशय का उल्लेख निविदा में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए।

उत्पाद शुल्क के संबंध में अपने प्रस्ताव में की गई घोषणा के लिए निविदाकर्ता एकमात्र उत्तरदायी होगा और किसी भी स्तर पर उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी दावे / देयता के लिए क्रेता की क्षतिपूर्ति करेगा।

5. Excise Duty :

The purchases made for the Research Institutions under the Department of Atomic Energy are entitled for Excise Duty Exemption as per Notification No. 10/97-Central Excise dt. 01.03.1997. Necessary Excise Duty Exemption Certificate will be provided by the purchaser after placement of order, but prior to dispatch of the material.

Since this Directorate handles the purchases for both Research Institutions and Industrial Units under the Department of Atomic Energy, the bidders should not include the Excise duty in the quoted price, which can put them into a disadvantageous position. They should, however, quote separately the percentage/quantum of excise duty applicable.

Excise Duty Exemption Certificate will be issued only in favour of the contractor with whom the purchase order is placed for the end product and not in favour of the third party. However, in case the offer is received from a sole-selling agent of the original equipment manufacturer for which documentary proof should be submitted, issue of Excise Duty Exemption Certificate in favour of the original equipment manufacturer can be considered, provided such request is made in the original offer.

If a tenderer is availing CENVAT credit facility, this fact should be clearly indicated in the tender. In the event of supplies being meant for R&D unit for the items as per Notification No. 10/97-Central Excise dated 01.03.1997, claim for reversal of CENVAT if any, should also be brought out in the tender itself separately.

Wherever Excise Duty is payable in respect of requirements for Industrial Units under the Department of Atomic Energy, Excise Duty will be re-imbursed only against submission of "Original for buyer's" invoice/invoice-cum-challan duly signed by the authorized representative of the company with details relating to payment of Excise Duty to Government duly filled in.

Irrespective of issue of Excise Duty Exemption Certificate, for the purpose of comparison of the offers, the Purchaser will take into account the Excise Duty as normally applicable, unless the tenderer himself is specifically exempted from payment of Excise duty under any other Notification, which fact should be clearly brought out in the tender.

The tenderer shall be solely responsible for the declaration regarding Excise Duty made in his offer and shall indemnify the purchaser from any claim/liability from the Excise authorities at any stage.

6. सीमा-शुल्क ड्यूटी

परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत अनुसंधान संस्थानों के लिए खरीद के संबंध में और सीमा-शुल्क ड्यूटी रियायत को पाने के लिए समुचित प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाण-पत्र क्रेता प्राप्त करेगा। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा जारी दिनांक 23.07.1996 के सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 51/97-सीमा शुल्क के दिनांक 01.03.2002 के संशोधित संख्या : 24/2002-सीमा-शुल्क के अनुसार, क्रेता 5% का रियायत दर पर सीमा-शुल्क ड्यूटी के निर्धारण के लिए हकदार है।

जहाँ भी, आवश्यकता के अनुसार देशीय तथा उसके साथ आयातित प्रस्ताव प्राप्त होते है तो, समय-समय पर क्रय निर्णय लेने के दौरान लोडिंग के पश्चात सीमा-शुल्क ड्यूटी तथा अन्य प्रभार जो भी लागू हों को टोटल लेंडेड कास्ट के आधार पर आयातित भंडार के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा।

6. Custom duty :

The purchaser is entitled for assessment of Custom Duty at the concessional rate of 5% as per Amendment No. 24/2002-Custom dt. 01.03.2002 to Customs Notification No. 51/96-Custom dt. 23.07.1996, issued by the Department of Revenue, Ministry of Finance in respect of purchases made for the Research Institutions under the Department of Atomic Energy, and the purchaser will obtain and provide the requisite certificate from the appropriate authority for availing of the concessional rate of custom duty.

Wherever, against a requirement, both indigenous as well as imported offers are received, the offers for imported stores will be evaluated on the basis of the total landed cost after loading the custom duty and other levies as may be applicable from time to time for taking purchase decision.

7. क्रय वरीयता

यदि कोई केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, भारत सरकार के नीति के अनुसार मूल्यांकन के समय, निजी सेक्टर एककों से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो क्रय वरीयता के लिए हकदार होंगे बशर्ते कि उनका प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त है और उद्धृत किए गए मूल्य में भी भिन्नता है और 10% के अंदर न्यूनतम तकनीकी रूप से प्रस्ताव स्वीकार्य है तथा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम न्यूनतम ठेकेदार से मूल्य मेल खाता हो।

7. Purchase preference :

In case any of the Central Public Sector Enterprise submit an offer, they will be eligible for purchase preference when they complete with the private sector units as per the policy of the Government of India in force at the time of evaluation, provided their offer is technically suitable and the difference in price quoted by them and the lowest technically acceptable offer is within the 10%, and the Central Public Sector Enterprise is willing to match their price with that of the lowest tenderer.

8. मूल्य वरीयता

यदि एन.एस.आई.सी. के पास लघु उद्योग एकक पंजीकृत है, प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो यदि प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त हो तो तब वह मूल्य वरीयता के हकदार होंगे बशर्ते कि भारत सरकार के नीति के अंतर्गत मूल्यांकन के समय जब वे बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करते है।

8. Price preference :

In case a Small Scale Industrial Unit registered with NSIC submits an offer and if the offer is found to be technically suitable, they will be eligible for Price Preference when they compete with large scale ndustrial units as per the policy of the Government of India in force at the time of evaluation.

9. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से भारतीय एजेंट से प्राप्त प्रस्ताव

यदि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से भारतीय आपूर्तिकर्ता/भारतीय एजेंट ठेका प्रस्तुत करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज ठेके के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए, यदि ऐसा नही किया तो उनका प्रस्ताव अनदेखा किया जाएगा।

(क) प्रधानों और भारतीय एजेंटों के बीच करार की एक फोटो प्रति जिसमें प्रतिशत दर्शाया गया है या एजेंसी को भुगतान की जाने वाली कमीशन और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की और से भारतीय एजेंटों को प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र।

(ख) डीजीएसएंडडी या इस निदेशालय की (क्रभनि) के पंजीकृत प्रमाण–पत्र की एक फोटो कॉपी।

(ग) भारतीय एजेंट द्वारा किया गया बिक्री के बाद सेवा का प्रकार

विदेशी मुखिया/आपूर्तिकर्ता की ओर से भारतीय एजेंटों को ठेके का मूल्य उद्धृत करने की अनुमति है।

9. Offers from Indian Agents on behalf of foreign suppliers :

In case the tender is submitted by an Indian supplier/Indian agent on behalf of their foreign suppliers/principals, following documents should be submitted with the tender, failing which, their offer is liable to be ignored :

a) Photocopy of the Agency Agreement between the Principals and the Indian Agents showing the percentage or the quantum of agency commission payable and a Letter of Authority from the Principals authorizing the Indian Agents to submit the tender on their behalf.

b) Copy of Registration Certificate with DGS&D or this Directorate (DPS.)

c) The type and nature of after sales services to be rendered by the Indian Agent.

The Indian Agents are allowed to quote on behalf of only one foreign Principal/Supplier against this tender.

10. जमानती जमा बैंक गारंटी :

यदि किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह निविदा प्रस्ताव देने वाले को आदेश के मूल्य के 10% के लिए जमानती जमा बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी जो क्रेता के प्रपत्र के अनुसार, आवश्यक गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा निष्पादित होनी चाहिए और संविदात्मक दायित्वों के संतोषजनक ढंग से पूरा होने तक वैध होनी चाहिए। यदि निविदाकर्ता डीजीएसएंडडी, एनएसआईसी अथवा इस निदेशालय में पंजीकृत है तो उसके लिए जमानती जमा से उस आर्थिक सीमा तक छूट हेतू विचार किया जा सकता है जिसके लिए वे पंजीकृत हैं, बशर्ते ठेकेदार का पिछला कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा हो।

जिन मामलों में ठेके की कीमत ऐसे पंजीकरण की आर्थिक सीमा से अधिक है उनमें ठेकेदार पंजीकृत सीमा से अधिक मूल्य के 10% के लिए जमानती जमा बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

10. Security Deposit Bank Guarantee :

In the event of acceptance of an offer, the tenderer will be required to submit a security deposit for 10% of the value of the order in the form of Bank Guarantee valid till the satisfactory fulfillment of the entire contractual obligations, to be executed by a nationalized/scheduled Bank, on the requisite Non-judicial Stamp Paper, as per the purchaseer's format. In case the tenderer is registered with DGS&D, NSIC or with this Directorate, they can be considered for exemption from Security Deposit to the extent of the monetary limit of such registration, provided the past performance of the Contractor is satisfactory.

In respect of contracts beyond the monetary limits of such registration, the Contractor shall furnish a Bank Guarantee for 10% of the excess value, towards Security Deposit.

11. सशर्त छूट :-

यदि निविदाकर्ता एक निश्चित अवधि के अंदर प्रस्ताव स्वीकार करने अथवा निश्चित भुगतान शर्तों, सुपुर्दगी मात्रा आदि के लिए कोई सशर्त छूट का प्रस्ताव देता है तो क्रेता उसके प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय ऐसी सशर्त छूट पर विचार नहीं करेगा।

11. Conditional Discount :

In case the tenderer offers any conditional discount with regard to acceptance of their offer within a specific period or for the specific payment terms, delivery, quantity etc. the purchaser will not take into consideration such conditional discount while evaluating their offer.

12. पिछला निष्पादन :-

यदि किसी निविदाकर्ता का पिछला कार्य निष्पादन, मात्रा, सुपुर्दगी, वारंटी दायित्वों के बारे में या ठेके की शर्तें पूरी करने के बारे में संतोषजनक नहीं पाया गया है तो उनके प्रस्ताव क्रेता द्वारा अस्वीकार किए जा सकते हैं।

12. Past Performance :

In case the past performance of the tenderer is not found to be satisfactory with regard to quality, delivery, warranty obligation and non-fulfillment of terms and conditions of the contract, their offer is liable to be rejected by the purchaser.

13. क्षमता और वित्तीय स्थिति :-

यदि ऐसा पाया जाता है कि निविदाकर्ता के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा, क्षमता, योग्यता नहीं है और उसकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है तो ऐसे निविदा प्रस्ताव क्रेता द्वारा अस्वीकार किए जा सकते हैं।

13. Capacity & Financial Standing :

In case it is found that the tenderer does not possess the requisite infrastructure, capacity, capability and their financial standing is not satisfactory, such tender is liable to be rejected by the purchaser.

14. निर्यात लाइसेंस / निर्यात अनुमति :-

विदेशों में बनी सामग्री के लिए बोली लगाने वाले आपूर्तिकर्ताओं की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे लदान की व्यवस्था करने से पहले संबंधित सरकार से, निर्यात अनुमति/लाइसेंस/प्राधिकार, जो भी आवश्यक हो, प्राप्त करना सुनिश्चित करें. आपूर्ति के बाद किसी भी विदेशी एजेंसी/प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण इस विभाग को स्वीकार्य नहीं होगा. अतः यह आवश्यक है कि विदेशों में बनी सामग्री का प्रस्ताव देने वाले विक्रेताओं को उन देशों मे निर्यात ठेके के प्रचलित नियमों की पूरी जानकारी हो. यदि अंतिम उपयोग हेतु की गई किसी घोषणा का कोई अनुवर्ती परिणाम होता है जो विक्रेता/उनके विदेशी प्रमुखों ने सामग्री के बनाने वाले देश की सरकार/सरकारी एजेंसियों को निर्यात अनुमति/लाइसेंस लेते समय प्रस्तुत की हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रेता की होगी, क्रेता इसके लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा. क्रेता की ठेके की शर्तों के विपरीत आपूर्ति के बाद के निरीक्षण की कोई भी शर्त निष्प्रभावी मानी जाएगी. जो प्रस्ताव उक्त निर्देशों के अनुसार नहीं हैं उन्हें अस्वीकार करने का अधिकार इस विभाग को है.

जहाँ भी ठेकेदार को अंतिम उपभोक्ता का प्रमाण पत्र चाहिए वहांइसका उल्लेख प्रस्ताव में ही स्पष्ट रूप से करना होगा और क्रेता नीचे दिए गए प्रपत्र के अनुसार अंतिम उपभोक्ता प्रमाण पत्र देगा। इस बारे में क्रेता कोई अन्य दस्तावेज / घोषणा नहीं देगा।

अंतिम उपभोक्ता विवरण :

हम एतद द्वारा प्रमाणित करते हैं कि दिनांक .... के हमारे क्रय आदेश संख्या क्रभनि/ ....के अनुसार मेसर्स ....से खरीदे जा रहे ....माल/मदों का उपयोग .... के लिए किया जाएगा।

हम यह भी प्रमाणित करते है कि इस मद/इन मदों का उपयोग किसी रासायनिक जैविक अथवा सामूहिक संहार के हथियारों के अभिकल्पन, विकास, निर्माण अथवा परीक्षण या इससे संबंधित गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हम यथा-आवश्यक संबंधित प्राधिकारियों की पूर्वानुमति लिए बिना इस मद का पुनर्निर्यात नहीं करेंगे।

14. Export Licence / Export Permission :

It is entirely the responsibility of the suppliers who are quoting for materials of foreign origin to ensure obtaining export permission/licence/authorisation as required from the respective Government before arranging shipment. This Department would

not accept post supply inspection by any agency/authority of any foreign country. It is, therefore, necessary that the vendors offering materials from foreign countries shall have thorough knowledge of export contract regulations in vogue in those countries. The vendors shall indemnify the purchaser against any consequences in respect of any end-use declaration they/their overseas Principals may furnish to the government/government agencies of the country of origin of the materials, while seeking export permission/licence. Post supply inspection, contrary to the terms and conditions of purchaser's contract shall be deemed to be null and void. This Department reserves the right to reject any offer, which is not in conformity with the above instructions.

Whenever an End-use Certificate is desired by the contractor, the same shall be clearly mentioned in the offer and the purchaser shall provide an End-user Certificate as per the format given below. The Purchaser will not provide any other document/declaration in this regard.

END USER STATEMENT :

We hereby certify that the items .... being procured from M/s. .... against our Purchase Order No. DPS/.. dated... will be used for ....

We also certify that the item/s will not be used in designing, developing, fabricating or testing of any chemical, biological, nuclear, or weapons of mass destruction or activities related to it.

it is further certified that we will not re-export this item prior to obtaining permission from the concerned authorties as may be required".

15. मूल निर्माता देश :–

यदि निविदा आयातित माल के लिए है तो प्रस्ताव में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि सामग्री मूलतः किस देश में निर्मित हैं / बनी हैं.

15. Country of Origin :

Wherever the tenders are for imported stores, the Country of Origin of the stores must be clearly specified in the offer.

16. गोपनीयता :

क्रेता द्वारा इस निविदा अथवा ठेके के संबंध में दिए गए आरेखों, विशिष्टियों, आदिरूपों, नमूनों या किसी भी अन्य पत्राचार/ब्यौरा/सूचना आदि को ठेकेदार गुप्त रखेगा और क्रेता द्वारा पहले से दी गई लिखित सहमति के बगैर यह किसी अन्य व्यक्ति/फर्म के सामने न तो प्रकट करेगा और न देगा। यह बात उप–ठेकेदारों, परामर्शदाताओं सलाहकारों और ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

16. Confidentiality :

The drawings, specifications, prototypes, samples or any other correspondence/details/information provided by the Purchaser relating to the tender or the contract shall be kept confidential by the Contractor, and should not be disclosed or passed on to any other person/firm without the prior written consent of the Purchaser. This clause shall apply to the sub-contractors, consultants, advisers, or the employees engaged by the contractor.

17. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 18 के अधीन प्रतिबंधित सूचना श्रेणियाँ और सरकारी गोपनीयता अधिनियम (Offical Secrets Act) 1923 की धारा 5 के अधीन सरकारी भेद

उपरोक्त नियमों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर ठेकेदार, उप–ठेकेदार, परामर्शदाता, सलाहकार और ठेकेदार के कर्मचारियों के विरूद्ध उपरोक्त कानूनों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

17. Restricted Information Categories under Section 18 of the Atomic Energy Act, 1962 and Official Secrets ACt, 1923.

Any contravertion of the above-mentioned provisions by the contractor, sub-contractor, consultant, adviser or the employees of the contractor will invite penal consequences under the aforesaid legislation.

18. अनुमति लिए बिना, प्रचार हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी संस्थान के नाम का उपयोग करने पर पाबंदी :

क्रेता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार, उप–ठेकेदार, परामर्शदाता, सलाहकार या ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कर्मचारी परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी संस्थान के नाम का उपयोग, किसी सार्वजनिक माध्यम जैसे प्रेस, रेडियो, टी.वी. अथवा इंटरनेट पर किसी प्रचार के लिए नहीं करेंगे।

18. Prohibition against use of the name of any Institution of Department of Atomic Energy without permission for publicity purposes :

The Contractor or sub-contractor, consultant, adviser or the empolyees engaged by the contractor shall not use the name of any Institution of Department of Atomic Energy for any publicity purpose through any public media like Press, Radio, T.V. or Internet without the prior written approval of the Purchaser.

19. क्रेता की सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन :

ठेकेदार, क्रेता द्वारा लागू सुरक्षा नियमों और विनियमों का कड़ाई से अनुपालन करेगा और जहाँ भी क्रेता द्वारा प्राधिकृत किया जाए वहाँ क्रेता के परिसर में प्रवेश करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति लेने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकतांए पूरी करेगा जिनमें पुलिस तथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी शामिल है।

19. Compliance with the Security Requirements of The Purchaser :

The Contractor shall strictly comply with the Security Rules and Regulations of the Purchaser in force and shall complete the required formalities including verification from Police and any other authority and obtain necessary prior permission for entry into the Purchasers premises, wherever authorised by the Purchaser.

20. आईएसआई चिन्ह वाले उत्पाद :-

आईएसआई चिन्ह वाले उत्पादों को वरीयता दी जाएगी। निम्नलिखित श्रेणियों के मदों के बारे में क्रेता केवल आईएसआई चिन्ह वाले उत्पादों के प्रस्तावों पर ही विचार करेगा :

1. अग्निशामक उपकरण
2. भवन निर्माण सामग्री
3. पी.वी.सी. पाइप और फिटिंग्स
4. खेती के औजार तथा छिड़काव के यंत्र
5. चिकित्सा उपकरण (जैसे :- सिरिंज, सुइयाँ, रक्तचाप मापक यंत्र आदि)

20. Products With "ISI" Mark :

Products with ISI mark will be preferred. In respect of the following categories of items, Purchaser will consider offers for products with ISI Mark only :

1. Fire Extinguishers.
2. Building Materials
3. P.V.C. Pipes and fittings
4. Agricultural implements & sprayers
5. Medical Instruments (such as syringes, needles, BP apparatus etc.)

21. दरें अंकों और शब्दों में भी लिखी जाएं:

निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा दी गई दरें अंको और शब्दों दोनो में लिखी गई है, ऐसा न करने पर निविदाएँ अस्वीकार की जा सकती हैं।

21. Rates to be Quoted in Figures & Words.

The tendereres shall ensure that the rates quoted by them are given both in *figures and words*, failing which the tenders are liable to be rejected.

22. स्थाई खाता संख्या (पैन) :-

निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा के साथ पैन कार्ड/पत्र की जेराक्स प्रति और फैक्टरी पंजीकरण/लाइसेंस या दुकान स्थापना प्रमाणपत्र जो भी लागू हो, उसकी एक प्रति, प्रस्तुत करना आवश्यक है: ऐसा न करने पर निविदाएंअस्वीकार की जा सकती हैं।

22. Permanent Account Number (PAN) :

Tenderers are required to submit a true copy of the PAN Card/Letter and copy of the factory Registration/Licence or shop establishment certificate as applicable with the quotation; failing which the tenders are liable to be rejected.

23. **निःशुल्क जारी सामग्री :–**

(यह शर्त केवल उन ठेकों पर लागू होगी जो क्रेता के निःशुल्क जारी सामग्री (एफआईएम) से निर्मित किए गए उपकरण की आपूर्ति के लिए होंगे.)

यदि ठेके में इस बात की व्यवस्था है कि उपकरण/सामग्री के निर्माण हेतु क्रेता ठेकेदार को निःशुल्क जारी सामग्री (एफआईएम) की आपूर्ति करेगा तो ऐसी निःशुल्क जारी सामग्री की रक्षा के उपाय के रूप में ठेकदार को अपनी लागत पर एक बीमा पॉलिसी लेकर जमा करानी होगी. यह पॉलिसी सामग्री के पूरे मूल्य की होगी और इस बीमा पॉलिसी में विशेष रूप से निम्नलिखित जोखिम शामिल होंगे और यह ठेके में निर्धारित सुपुर्दगी की तारीख से छः महीने बाद तक वैध होगी :–

1. **शामिल किए जाने वाले जोखिम** : आग, चोरी, दंगे, सेंध मारी, हड़ताल, नागरिक हंगामे, आंतकवादी कार्य, प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण क्रेता की सामग्री को होने वाली हानि या क्षति और क्रेता की सामग्री के ऊपर अन्य किसी सामग्री के गिर जाने जैसे अन्य कारणों से होने वाली हानि या क्षति.

2. **बीमा कराने वाले का नाम** : (ठेकेदार का नाम)

3. **लाभार्थी** :
भारत के राष्ट्रपति की ओर से
निदेशक, क्रय एवं भंडार (केट)
क्रय एवं भंडार निदेशालय
परमाणु ऊर्जा विभाग
भारत सरकार,
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
पोस्ट : केट, इन्दौर–452 013
के माध्यम से कार्यरत,
भारत के राष्ट्रपति

4. **धनराशि जिसके लिए बीमा पॉलिसी तैयार कराई जानी है** : राशि का उल्लेख संबंधित ठेके में किया जाएगा.

ठेकेदार से बीमा पॉलिसी प्राप्त होने के बाद ही ठेकेदार को निःशुल्क जारी सामग्री (एफआईएम) जारी की जाएगी। ठेकेदार को अपने जोखिम और लागत पर क्रेता के परिसर से एफआईएम का संग्रह करना होगा और इसे अपने परिसर तक सुरक्षित लेकर जाना होगा।

ठेकेदार द्वारा उपरोक्त बीमा करवाए जाने के बाद भी, ठेकेदार को क्रेता की क्षतिपूर्ति करनी होगी और जब तक इस ठेके का काम पूरा नहीं हो जाता और इसके लिए जारी की गई निःशुल्क सामग्री में से बचे हुए/फालतू तथा स्क्रैप माल को उसके पूरे हिसाब के साथ क्रेता को विधिवत वापस नहीं लौटा दिया जाता तब तक निःशुल्क जारी की जाने वाली सामग्री के मूल्य के लिए क्षतिपूर्ति का वचन क्रेता को देना होगा. क्रेता द्वारा जारी निःशुल्क सामग्री का उपयोग ठेकेदार इस ठेके के अनुसार किए जाने वाले काम के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए नहीं करेगा और ऐसा कोई काम या लापरवाही नहीं करेगा जिससे क्रेता को किसी प्रकार की कोई हानि या क्षति हो और यदि कहीं ऐसा हो जाए तो ठेकेदार ऐसी किसी भी हानि/नुकसान की पूरी तरह प्रतिपूर्ति/भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा. निःशुल्क जारी की जाने वाली सामग्री को प्राप्त करने के बाद जब तक यह माल उसके कब्जे/हिफाजत या अधिकार में रहता है तब तक की पूरी अवधि के लिए ठेकेदार इसकी हर प्रकार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा. ठेकेदार के कारखाने/कार्यस्थल पर जब निःशुल्क जारी की जाने वाली सामग्री प्राप्त होगी तब सही माल की सुरक्षित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए वह इसका निरीक्षण करेगा. यदि प्राप्त होने वाले माल में कोई कमी या विसंगति पाई गई तो ठेकेदार माल प्राप्ति की तारीख से 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट करेगा. ठेकेदार इस बात की पूरी और पक्की व्यवस्था करेगा कि निःशुल्क जारी की जाने वाली सामग्री जब तक उनके कब्जे/हिफाजत या नियंत्रण में रहती है तब तक किसी भी कारण से उस माल में किसी भी तरह की कोई खराबी या बरबादी न होने पाए और उसको किसी प्रकार का नुकसान या क्षति न पहुंचने पाए. ठेकेदार द्वारा निःशुल्क जारी की गई सामग्री का नियमित अंतराल पर समय–समय पर निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माल को सुरक्षित और सही ढंग से रखा गया है. ठेकेदार इस माल के वास्तविक उपयोग का पूरा और सही–सही हिसाब देगा क्रय आदेश के अनुसार बनाए जाने वाले अंतिम उत्पाद के साथ और बचे हुए माल और स्क्रैप को भी लौटाएगा और यदि क्रय आदेश में लिखी सुपुर्दगी अवधि के एक माह के अंदर ऐसा करना संभव नहीं होता है तो भी ठेकेदार ऐसे बचे हुए/स्क्रैप माल को किसी अन्य सामान का साथ मिलने नहीं देगा. यदि निःशुल्क जारी की गई सामग्री को किसी प्रकार का नुकसान या हानि होती है तो उसकी वास्तविक कीमत और बीमा कंपनी द्वारा क्रेता के दावे पर किए गए भुगतान के अंतर की प्रतिपूर्ति/भरपाई करके ठेकेदार क्रेता की क्षतिपूर्ति करेगा. ठेकेदार को जारी की गई निःशुल्क सामग्री जब उसके कब्जे/हिफाजत, नियंत्रण में थी तब किसी भी कारण से होने वाली किसी भी हानि, नुकसान, बरबादी या उसमें कोई खराबी आने और इसके कारण सरकार को होने वाले नुकसान की मात्रा के बारे में भी परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई के क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक, क्रय और भंडार का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बंधनकारी होगा.

23. **Free Issue material :**

(This clause shall apply only to contracts for supply of fabricated equipment with purchaser's Free Issue Materials (FIM).

Wherever contracts envisage supply of Free Issue Material (FIM) by the Purchaser to the Contractor for fabrication of the contracted equipment/stores, such Free Issue Material shall be safeguarded by an insurance policy to be provided by the Contractor at his own cost for the full value of such materials and the insurance policy shall cover the following risks specifically and shall be valid for six months beyond the contractual delivery date :

1. RISKS TO BE COVERED : Any loss or damage to the Purchaser's materials due to fire, theft, riot, burglary, strike, civil commotion, terrorist act, natural calamities etc. and any loss or damage arising out of any other causes such as other materials falling on purchaser's materials.

2.	INSURED BY	:	(Name of the Contractor)
3.	BENEFICIARY	:	The President of India, acting through The Director, Purchase & Stores, (CAT) Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, Government of India, Raja Ramanna Centre for Advanced Technolgy P.O. RRCAT, Indore-452 013
4.	AMOUNT FOR WHICH INSURANCE POLICY TO BE FURNISHED	: :	The amount will be indicated in the respective Contract

Free Issue Material (FIM) will be issued to the Contractor only after receipt of the Insurance Policy from the Contractor. The contractor shall arrange collection of the FIM from the Purchaser's premises and safe transporation of the same to his premises at his risk and cost.

Notwithstanding the insurance cover taken out by the Contractor as above, the Contractor shall indemnify the Purchaser and keep the Purchaser indemnified to the extent of the value of free issue materials to be issued till such time the entire contract is executed and proper account for the free issue materials is rendered and the left over/surplus and scrap items are returned to the Purchaser, The Contractor shall not utilize the Purchaser's free issue materials for any job other than the one contracted out in this case and also not indulge in any act, commission or negligence which will cause/result in any loss/damage to the Purchaser and in which case, the Contractor shall be liabel to the Purchaser to pay compensation to the full extent of damage/loss. The Contractor, shall be responsible for the safety of the free issue materials after these are received by them and all through the period during which the materials remain in their possession/control/custody. The free issue materials on receipt at the Contractor's works shall be inspected by them for ensuring safe and correct receipt of the material. The contractor shall report the discrepancies, if any, to the Purchaser within 5 days from the date of receipt of the material. The Contractor shall take all necessary precautions against any loss, deterioration, damage or destruction of the FIMs from whatever cause arising whilst the said materials remain in their possession/custody or control. The free issue materials shall be inspected periodically at regular intervals by the Contractor for ensuring safe preservation and storage. The Contractor, shall also not mix up the Materials in question with any other goods and shall render true and proper account of the materials actually used and return balance remaining unused material on hand and scrap along with the final product and if it is not possible within a period of one month from the date of delivery of the final product covered by this purchase order. The Contractor, shall also indemnify the Purchaser to compensate the difference in cost between the actual cost of the free issue material lost/damaged and the claim settled to the Purchaser by the insurance company. The decision of the Director, Purchase & Stores, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, Mumbai, as to whether the Contractor has caused any loss, destruction damage or deterioration of the free issue materials while in his possession, custody or control from whatever cause arising and also on the quantum of damage suffered by the government, shall be final and binding upon the Contractor.

24. प्रपत्र सं. क्रभनि/पी/11 तथा प्रपत्र सं. क्रभनि/पी/12

प्रपत्र सं. क्रभनि पी-11 के पृष्ठ सं. 6 पर धारा 10 (III) और क्रभनि पी-12 के पृष्ठ सं. 10 पर धारा 2.10.4 में दिए गए शब्दों बशर्ते कि पुनर्खरीद अथवा यदि पुनर्खरीद के लिए कोई करार है तो ऐसा करार, इस प्रकार की असफलता की तारीख से छः महीने के अंदर किया गया हो को बशर्ते कि पुनर्खरीद अथवा यदि पुनर्खरीद के लिए कोई करार है तो ऐसा करार, इस प्रकार की असफलता की तिथि से समुचित/औचित्यपूर्ण अवधि के अंदर किया गया हो यह खरीद के स्वरूप/प्रकृति पर निर्भर करेगी के रूप में संशोधित कर दिया गया है.

24. Form No. DPS/P/11 & Form No. DPS/P/12

The words "provided that the repurchase, or if there is an agreement to repurchase then such agreement, is made within six months of the date of such failure" appearing in Clause 10(iii) on page 6 of form No. DPS P-11 and in clause 2.10.4 on Page 10 of DPS P-12 stands amended as "provided that the repurchase, or if there is an agreement to repurchase then such agreement, is made within a reasonable period from thd date of such failure, depending upon the nature/merit of the purchase".

25. (अ) टेन्डर में या तो भारतीय प्रतिनिधि स्वयंअपने निर्माता के लिये या निर्माता स्वयंटेन्डर दे सकता है लेकिन एक ही टेन्डर में एक ही उत्पाद / उत्पादों के लिये दोनों शामिल नहीं हो सकते।

(ब) एक ही टेन्डर में एक ही उत्पाद / उप्पादों के लिये भारतीय प्रतिनिधि दो निर्माताओं का टेन्डर नहीं दे सकता है।

25. a) In a tender, either the Indian agent on behalf of the Principal / OEM or Principal / OEM itself can bid but both cannot bid simultaneously for the same item / product in the same tender.

b) If an agent submits bid on behalf of the Principal / OEM, the same agent shall not submit a bid on behalf of another Principal / OEM in the same tender for the same item / product.

निविदा क्रमांक / क्र. एवंभं. नि. /ई.क्षे. क्र. ई. / .... का अनुलग्नक नियत तिथि ....

ANNEXURE TO TENDER NO. DPS / IRPU / DUE DATE :

---

१) निविदाकार, पूरी तरह भरे हुए हस्ताक्षरित , अपने प्रस्ताव फार्म क्र. २२ए/४४ए के साथ अद्यतन आयकर बकाया नही प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ प्रस्तुत करें।

i) Tenders must submit alongwith their offer form No. 22A/44A duly filled in and signed alongwith a copy of latest Income Tax Clearance Certificate.

२) आपूर्ति एवंनिपटान महानिदेशालय / राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा क्रय एंव भंडार निदेशालय के साथ पंजीकृत फर्मो के मामले में, निविदा प्रस्ताव के साथ, इन पंजीयन प्रमाण-पत्रों की प्रति भी संलग्न करें।

ii) In case of firms registered with DGS & D/NSIC/DPS a copy of registration certificate be enclosed alongwith the offer. In case the tender is not registered with any of the above three organisations than the same be categorically indicated in the tender.

३) यदि उल्लेखित (कोट किए गए) मूल्यों में किसी प्रकार के परिवर्तन की मांग की जाती है जैसे वित्तीय नियमों में परिवर्तन के कारण उत्पाद शुल्क की दरों संबंधी अन्तर आदि, तो इसे स्पष्ट रूप से बताना होगा अन्यथा उल्लेखित मूल्यों को ही पूर्ण तथा अन्तिम माना जाएगा।

iii) In case of any variation is demanded in the prices quoted such as statutory variation in excise duty etc., then same must be stated specifically, otherwise the prices shall be deemed to be firm and final.

४) कोटेशन, प्रार्थित दरों के आधार पर ही, प्रस्तुत किया जाना चाहिए लेकिन यदि उल्लेखित मूल्य/दरें कारखाने पर (एक्स-वर्क्स) या गोदाम पर (एक्स गोडाऊन) हैं तो ऐसे मामलों में दरों का विस्तृत ब्यौरा दर्शाया जाना चाहिए जिससे इन मूल्यों (एक्स-वर्क्स/एक्स गोडाउन) को एफ.ओ.आर. केट मूल्यों में परिवर्तन किया जा सके। जिस कोटेशन में प्रतिशत या मात्रा दर्शाएंबिना, पैकिंग और मात्रा का प्रभार लगाना प्रस्तावित हो, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि पैकेजिंग पर भी उत्पाद शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है तो इसे निविदा प्रस्ताव में स्पष्ट रुप से दर्शाया जाना चाहिए अन्यथा यह माना जाएगा कि पैकेजिंग प्रभार पर उत्पाद शुल्क नहीं लिया जाना है।

iv) Quotations should be submitted on free delivery at. Cat Basis. However, where prices quoted are Ex-works or Ex-godown in such cases break up of price be indicated to convert ex-works ex-godown prices to FOR Station of despatch/FOR CAT Prices. Quotations stipulating P&F Charges extra without indicating percentage/quantum shall not be entertained. In case excise duty is claimed on packaging same be specifically indicated in the offer otherwise it shall be deemed that excise duty is not leviable on packing charges.

५) उल्लेखित दरों में मूल्यों के साथ दस्तावेजों प्रमाण जैसे निर्माता की मूल्य-सूची आदि संलग्न होनी चाहिए। जहाँ भी मूल्यों का ब्यौरा देना संभव हो, वहाँ कोट किए गए मूल्य के समर्थन में कोटेशन के साथ प्रस्तुत किया जाए।

v) Prices quoted should be supported with documentary evidence such as manufacturer's price list etc. Wherever it is possible to give the cost break up of the prices same be given in the quotation justifying the quoted price.

६) प्राधिकृत डीलर/स्टॉकिस्ट/ एजेंट के निविदाकार होने के मामले में, उनके व मुख्य निर्माता के बीच किए गए विस्तृत करार तथा उनकी शर्तो और वारंटी की प्रति भी निविदा के साथ संलग्न की जाए जिससे यह पुष्टि हो सके डीलर/स्टॉकिस्ट/एजेंट द्वारा बिक्रीत उत्पाद के मूल निर्माता की गारंटी/वारंटी क्रेता को भी उपलब्ध है।

vi) In case of authorised dealers stockiest agents a copy of detailed agreement between themselves and their principals be enclosed with the tender confirming that the guarantee / warrantee of the original manufacturers shall extend to the products being offered by the dealer / stockiest / agent.

७) निविदा में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित सामग्री, पूर्णतया निविदा में अपेक्षित विशिष्टियों के ही समान है। किसी प्रकार के विचलन के मामले में इस अन्तर/विषमता का विवरण कोटेशन के साथ प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तकनीकी/व्यावसायिक अन्तर की सीमा/क्षेत्र स्पष्ट रुप से दर्शाया जाना चाहिए।

vii) It should be specifically confirmed in the tender that the stores offered are exactly as per tender enquiry specifications. In case of any deviation a non compliance statement be submitted with the quotation clearly indicating the extent / areas of the technical / commercial deviation.

८) निविदाएंको तीन प्रतियों से संबंधित पत्रादि (लीफ्लेट/केटलाग) के साथ मुहर बंद लिफाफे के ऊपर निविदा क्रमांक एवंतिथि लिखकर प्रेषित करें जो कि न्यूनतम 90 दिनों की अवधि तक वैध होना चाहिये।

viii) Tenders to be submitted in triplicate alongwith relevant leaflets / catalogues etc. In sealed envelopes, Superscribed with tender no. and date and should be valid for minimum period of 90 days in sealed envelopes.

९) उपरोक्त अनुदेशों के पालन न किए जाने की स्थिति में निविदा, निविदाकार को बिना कोई सूचना दिए रद्द किए जाने योग्य होगी।

ix) Non compliance of the above instructions shall result in summarily rejection of offer without further reference to the tenderer.

१०) क्रेता पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी कि हम निम्नतम या अन्य निविदा स्वीकार करे तथा उसे अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्णरुप से बिना कोई कारण बताए स्वीकार करे या रद्द कर दे। संबंधित प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह लागू नीति के अन्तर्गत देय सार्वजनिक उद्यम मूल्य प्राथमिकता सुविधा की अनुमति प्रदान करें।

x) The purchaser shall be under no obligation to accept the lowest or any other tender and shall be entitled to accept or to reject any tender in part of full without assigning any reason whatsoever. The authority concerned reserves its right to allow the Public Enterprises price facility as admissable under the existing policy.